

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 15/18

राम सिंह पुत्र सरदार सिंह गुर्जर आयु 35 वर्ष
निवासी ग्राम जियाजीपुर थाना गोहद जिला
भिण्ड, म.प्र.

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

जमानत आवेदन क्रमांक 25/18

1. रामबीर सिंह पुत्र सरदार सिंह गुर्जर आयु 40 वर्ष।
2. संतोष सिंह पुत्र सरदार सिंह गुर्जर आयु 28 वर्ष।
3. कल्ली पुत्र रामबीर सिंह गुर्जर आयु 22 वर्ष
निवासीगण ग्राम जियाजीपुर थाना गोहद जिला
भिण्ड म.प्र.

—आवेदकगण

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

12-01-2018

आवेदकगण/आरोपीगण राम सिंह, रामबीर सिंह, संतोष सिंह व कल्ली की ओर से श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

फरियादी/आपत्तिकर्ता दीवान सिंह की ओर से श्री केशव सिंह गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

न्यायालय श्री अमित कुमार गुप्ता जे0एम0एफ0सी0 गोहद से मूल आपराधिक प्र0क0 08/18, आरक्षी केंद्र गोहद विरुद्ध रामवीर आदि प्राप्त।

उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन क्रमांक 15/18, आवेदक राम सिंह का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है तथा

जमानत आवेदन क्रमांक 25/18, आवेदकगण रामवीर, संतोष व कल्ली का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकार दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण दोनों जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

उक्त चारों आवेदक/अभियुक्तगण राम सिंह, रामबीर सिंह, संतोष सिंह व कल्ली की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदनों के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही निराकृत हुये हैं।

आवेदकगण के जमानत आवेदन पत्रों अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर संबंधित सभी पक्षों को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्तगण राम सिंह, रामबीर सिंह, संतोष सिंह व कल्ली की ओर से निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना गोहद ने अप0क्र0 198/17 ने झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। आवेदक निर्दोष है। आवेदक ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। गांव की पार्टीबंदी और पुरानी रंजिश के कारण फरियादी पक्ष द्वारा झूठी रिपोर्ट की है। और आवेदकगण दिनांक 27.12.17 से उपजेल गोहद में बंद है। आवेदकगण ग्राम ग्राम जियाजीपुर का स्थाई निवासी हैं, इसलिये उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होकर अधीनस्थ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। आवेदकगण दिनांक 27.12.17 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं एवं मामले में धारा 429 भा0दं0सं0 का अपराध गठित नहीं होता है। आवेदकगण अभियोजन साक्ष्य को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे और न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेंगे। अतः इन्हीं सब आधारों पर उन्हें जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया है।

फरियादी/आपत्तिकर्ता दीवान सिंह की ओर से व्यक्त किया है कि आरोपीगण खतरनाक और झगड़ालू प्रवृत्ति के आदमी हैं। आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक 17.09.17 को फरियादी के बाजरा के खेत में जबरदस्ती पशु चरा रहे थे जब फरियादी ने रोका तो आरोपीगण ने एक लाख रुपये की मांग की और बुरी बुरी गालियां देने लगे और कहा कि तुम्हें इस खेत में खेती नहीं करने देंगे। फरियादी द्वारा मना करने पर लाठियों एवं बंदूक के पछुओं से मारपीट की जिससे फरियादी की हथेली

में अस्थिभंग आ गया है। आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त लायसेंसी हथियार भी जप्त नहीं किये गये हैं तथा धौंस देते हैं कि राजीनामा नहीं किया तो यहां खेती नहीं करने देंगे व न ही रहने देंगे। यदि आरोपीगण को जमानत दी गई तो भविष्य में फरियादी व उसके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं। अतः इन्हीं सब आधारों पर आवेदक/आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्तानुसार सभी पक्षों के निवेदनों पर विचार करते हुये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आपराधिक प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 17.09.17 को फरियादी अपने अलोरी मौजा के खेत पर बाजरा की फसल देखने गया उस समय शाम के 4 बजे का समय था तब उसने देखा कि उसके खेत में भैंसे चर रही हैं तो उसने उन्हें अपने खेत से भगाया तो रामवीर गुर्जर माउजर बंदूक, राम सिंह गुर्जर दुनाली बारह बोर बंदूक, संतोकी गुर्जर लाठी लिये व कल्ली गुर्जर लाठी लिये आ गये और बोले की मादरचोद बहनचोद हमारी भैंस तेरे खेत में ऐसे ही चरेगी नहीं तो हमें एक लाख रुपये नगद दे। उसने गाली देने से मना किया तो रामवीर गुर्जर ने उसकी पीठ में माउजर बंदूक के बट मारे मुंदी चोट आई। राम सिंह ने बाहर बोर बंदूक के बट उसकी पीठ में मारे मुंदी चोट आई। फिर संतोकी ने लाठी मारी जो उसके बायें हाथ के पंजे पर लगी एवं कल्ली ने उसके दाहिने पैर की पिडली में लाठी मारी मुंदी चोट आई। वह चिल्ला रहा था तो इतने में उसका भाई केदार सिंह, गजेंद्र सिंह गुर्जर ने बचाया। जाते समय आरोपीगण ने जान से खत्म कर देने की धमकी दी। उक्त संबंध में रिपोर्ट फरियादी दीवान सिंह गुर्जर के द्वारा थाना गोहद पर अप0क0 198/17 अंतर्गत धारा 323, 294, 506, 34 भा0दं0सं0 की दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान धारा 327, 329 व 427 भा0दं0सं0 का इजाफा किया गया, जो गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा सभी आरोपीगण द्वारा लाठी और बंदूकों से सुसज्जित होकर एक साथ मौके पर पहुंचकर फरियादी से एक लाख रुपये की अवैध मांग करते हुये बंदूक की बटों व लाठी से फरियादी की मारपीट करते हुये उसे घोर उपहति कारित करना बताया गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकम पर यह नहीं माना जा सकता है कि मामले में धारा 329 भा0दं0सं0 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं।

अतः मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों व न्यायिक निरोध की अवधि सहित अपराध की गंभीरता को देखते हुये आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उनकी ओर से प्रस्तुत पृथक-पृथक जमानत आवेदन

पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किये जाते हैं।

आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख विधिवत बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/-

(एस०के०गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)